

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/ 803

दिनांक:- 17/03/2023

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),
(कलक्टर), श्रीगंगानगर।

विषय :- नगरपालिका श्रीविजयनगर के उपाध्यक्ष पद हेतु उप-चुनाव कार्यक्रम।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, नगरपालिका श्रीविजयनगर के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर उप चुनाव कराया जाना है। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 95 के उपनियम (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग उप चुनाव हेतु तिथि 04.04.2023 एवं नोटिस अवधि 7 दिवस निर्धारित करता है।

अतः उक्त उप चुनाव हेतु उक्त नियमों के नियम 95 के अनुसरण में नियम 79 से 89 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अध्यक्षीय/उपाध्यक्षीय पदों के चुनाव हेतु दिशा-निर्देश आयोग द्वारा पत्रांक 3564 दिनांक 23.09.2019 द्वारा जारी किए हुए हैं जो कि "नगरपालिका चुनाव हेतु में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020" पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 255 से 265 पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/ 804-808

दिनांक:- 17/03/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. गार्ड फाईल।

(अपर्णा शर्मा)

सहायक सचिव